बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आ0सं0–भवन / 10 / विविध(के0भ0प्र0)–20 / 2025.....6194(भ0)..... / पटना, दिनांक– 8/7/26

:: आदेश ::

श्री संजीत कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध निगरानी विभाग के पत्रांक–930 दिनांक–25.05.2026 द्वारा अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना काण्ड संख्या–14 / 2025 दिनांक–25.03.2025 धारा–13 (02)–सह–पठित धारा–13 (01) (बी), भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) दर्ज किया गया है।

उल्लेखनीय है कि श्री संजीत कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना को निगरानी धावा दल द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करने के कारण निगरानी थाना काण्ड संख्या–64 / 2022 दिनांक–02.12.2022 दर्ज की गयी। इसके उपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध विभाग में अनुशासनिक कार्रवाई (विभागीय कार्यवाही संख्या–43 / 2023) संचालित की जा रही है।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–5840 दिनांक–18.06.2020 द्वारा परिचारित है कि *"आय से अधिक सम्पत्ति के मामलों में भी प्रशासनिक चूको / प्रशासनिक प्रावधानों के उल्लंघन (उदाहरण के लिए आरोपी सरकारी सेवक द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों के आलोक में दो माह के मूल वेतन से ज्यादा के समव्यवहारों की सूचना समय पर दी गयी है अथवा नही, अपने आस्ति एवं दायित्वों का विवरण समय पर दिया गया है अथवा नही, किसी नियमित अथवा ख्याति प्राप्त व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति / संस्था से समव्यवहार किये जाने के पूर्व विहित प्राधिकारी की अनुमति ली गयी है, अथवा नही, अभियोजन एजेंसी द्वारा प्रतिवेदित आस्ति एवं दायित्व (Assets and Liabilities) का विवरण संबंधित सरकारी सेवक द्वारा समर्पित विवरण से भिन्न है अथवा नही, उसके आस्ति एवं दायित्व (Assets and Liabilities) उसके आय के ज्ञात श्रोत के अनुरूप है अथवा नहीं, आदि) की जाँच की जाय और आरोप पत्र का गठन ऐसी जाँच के निष्कर्षो के आधार पर ही किया जाय।"*

अतः मामले में उक्त बिन्दुओं के संदर्भ में प्रारंभिक जाँच करने तथा प्रशासनिक चुकों / प्रशासनिक प्रावधानों के उल्लंघन के संदर्भ में निष्कर्ष / प्रतिवेदन देने हेतु निम्नवत उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जता है :–

1. श्री संजय कुमार, अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना– अध्यक्ष।
2. श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियंता (दक्षिण) के तकनीकी सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, पटना– सदस्य।
3. मो0 शाहबुद्दीन यहिया– निदेशक, अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन–सह–क्रय कोषांग, भवन निर्माण विभाग, पटना– सदस्य।

(शिव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

Gopal

D//Sanjay Singh//Gopal Jee-2024//Adhisuchna. Adesh

ज्ञापांक–भवन / 10 / विविध(के0भ0प्र0)–20 / 2025 6194(भ0) / पटना, दिनांक– 8/7/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / सभी अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग / सभी संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना / कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना / अवर सचिव, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा–01, भवन निर्माण विभाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा–02 / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 10 / विविध(के0भ0प्र0)–20 / 2025 6194(भ0) / पटना, दिनांक– 8/7/26

प्रतिलिपिः–श्री संजय कुमार, अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / श्री अशोक ,कुमार, मुख्य अभियंता (दक्षिण) के तकनीकी सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, पटना / मो0 शाहबुद्दीन यहिया निदेशक, अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन–सह–क्रय कोषांग, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D//Sanjay Singh//Gopal Jee-2024//Adhisuchna. Adesh